कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 430 /XXV– 30(P-III) /2011 देहरादून : दिनांक 05 मई, 2016

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,
नैनीताल, उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 विषयक प्रशिक्षण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 260 दिनांक 05 अप्रैल, 2016 का ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अकादमी में DoPT भारत सरकार द्वारा प्रायोजित Ïmproving Transparency and Accountability in Government through Effective Implementation of RTI Act-2005" परियोजना के अन्तर्गत समस्त विभागों के नोडल अधिकारियों हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 पर स्वतः स्फूर्त प्रकटन विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 13 मई, 2016 को अकादमी में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून से श्री डी0पी0 डंगवाल, विशेष कार्याधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून जिनका मोबाईल नंम्बर– 9410520795 है, को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जा रहा है।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0संख्या 430 /XXV–30(P-III) /2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– श्री डी0पी0 डंगवाल, विशेष कार्याधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वह नियत दिनांक, समय एवं स्थान पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Ad. CEO

प्रेषक,
निदेशक,
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,
नैनीताल।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
12/4/16

सूचना का अधिकार

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 260 / चार–7 (2016) दिनांक : 05 अप्रैल, 2016

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 विषयक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में

महोदय,

अकादमी में DoPT भारत सरकार द्वारा प्रायोजित "Improving Transparency and Accountability in Government through Effective Implementation of RTI Act.-2005" परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में डी0ओ0पी0टी0 भारत सरकार के 21 नवम्बर, 2013 के दिशानिर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड के समस्त विभागों के नोड़ल अधिकारियों हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 पर स्वतः स्फूर्त प्रकटन विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ***दिनांक 13 मई, 2016*** को अकादमी में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अतः अपने विभाग से किसी एक अधिकारी को नोड़ल अधिकारी नामित करते हुए इसकी सूचना अकादमी को प्रेषित करने का कष्ट करें। 'A'

उल्लेखनीय है कि अकादमी में आवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतया निःशुल्क है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों को यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे ***दिनांक 13 मई, 2016 की प्रातः 09.00 बजे*** तक अकादमी में योगदान देना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अवनेन्द्र सिंह नयाल)
निदेशक

SO. निर्वाचन
कृ० 'A'

21/4/2016
(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव, निर्वाचन,
उत्तराखण्ड शासन।

श्री सेमवाल
कृ० प्रस्तुत करें।
25/4/16
S.O.